



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 159]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 20, 2015/फाल्गुन 29, 1936

No.159]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 20, 2015/PHALGUNA 29, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2015

सा.का.नि. 210(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 43 के खंड (क) के उपखंड (ii), धारा 54 की उपधारा (1) के उपखंड (घ), धारा 55 की उपधारा (2), धारा 56 की उपधारा (1), धारा 56 की उपधारा (3), धारा 62 की उपधारा (1), धारा 42 की उपधारा (2), धारा 63 की उपधारा (2) के खंड (च), धारा 64 की उपधारा (1), धारा 67 की उपधारा (3) के खंड (ख), धारा 68 की उपधारा (2), धारा 68 की उपधारा (6), धारा 68 की उपधारा (9), धारा 68 की उपधारा (10), धारा 71 की उपधारा (3), धारा 71 की उपधारा (6), धारा 71 की उपधारा (13) और धारा 72 की उपधाराएं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) संशोधन नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में, -

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा किया जाएगा, अर्थात् :—

"3. लागू होना - इन नियमों के उपबंध निम्नलिखित कंपनियों पर लागू होंगे—"

(क) सभी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां;

(ख) सभी प्राइवेट कंपनियां; और

- (ग) सूचीबद्ध कंपनियां उस सीमा तक जहां ये नियम इस संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम का खंडन या विरोध नहीं करते हैं।
- (2) नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (ख) में,
- (क) प्रथम परंतुक का लोप किया जाएगा;
- (ख) दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह कि" शब्द रखे जाएंगे;
- (ग) तीसरे परंतुक में "परंतु यह भी कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे;
- (3) नियम 6 के उपनियम (2) के खंड (ग) में "पंद्रह दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "पैंतालिस दिनों के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;
- (4) नियम 12 के उपनियम (1) के स्पष्टीकरण के खंड (ग) में "अथवा सहबद्ध कंपनी में" शब्दों का लोप किया जाएगा;
- (5) नियम 13 के उपनियम (1) में,-
- (क) परंतुक में "परंतु" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे और इस प्रकार संशोधित परंतुक के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
- "परंतु किसी कंपनी द्वारा एक या एकाधिक वर्तमान सदस्यों को ही कोई अधिमान प्रस्थापना करने के मामले में, कंपनी (विवरणिका और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम 14 के उपनियम (3) के परंतुक की अपेक्षाएं लागू नहीं होंगी"
- (ख) वर्तमान परंतुक में, "परंतु यह कि" शब्दों के स्थान पर "परंतु यह और कि" शब्द रखे जाएंगे
- (6) नियम 18 में,
- (क) उपनियम (1) में-
- (अ) खंड (घ) के उपखंड (i) और (ii) को निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:-
- "(i) कंपनी की कोई विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति; या
- (ii) कोई विनिर्दिष्ट स्थावर संपत्ति जहां उपयुक्त हो, या उसमें कोई हित में:
- परंतु किसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी के मामले में, उपखंड (i) के अधीन किसी जंगम संपत्ति पर प्रभार या गिरवी सृजित किया जा सकता है"
- (आ) खंड (घ) के उपखंड (ii) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्
- "परंतु यह और कि किसी सरकारी कंपनी जो केंद्रीय सरकार या एक या एकाधिक राज्य सरकार या दोनों द्वारा दी गई गारंटी द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत हो, द्वारा जारी किसी डिबेंचरों के निर्गम के मामले में इस उपनियम के अधीन प्रभार के सृजन के लिए अपेक्षा लागू नहीं होगी।"
- परंतु यह भी कि किसी अनुषंगी कंपनी द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लिए गए किसी ऋण के मामले में इस उपनियम के अधीन प्रभार या गिरवी होल्डिंग कंपनी की संस्थियों या अस्तियों पर भी सृजित की जा सकती है;

(ख) उपनियम (5) में "डिबेंचरों के आबंटन के साठ दिनों के भीतर" शब्दों के स्थान पर "इश्यू या स्थापना के बंद होने के तीन मास के भीतर" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपनियम (8) के पश्चात निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(9) इस नियम में इस नियम में अंतर्विष्ट किसी बात होते हुए भी किसी कंपनी द्वारा कोई वाणिज्यिक कागज-पत्र जारी करके या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों या विनियमों या अधिसूचनाओं के अनुसार जारी किसी अन्य समान लिखत के विरुद्ध प्राप्त किसी रकम पर लागू नहीं होगी।

(10) विदेशी मुद्रा संपरिवर्तन बंधपत्र और साधारण शेयर (निक्षेपाकार रसीद प्रणाली के माध्यम) स्कीम, 1993 या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियमों या मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार जारी विदेशी करेंसी संपरिवर्तन बंधपत्र या विदेशी करेंसी बंधपत्र के किसी प्रस्ताव के मामले में इस नियम की अपेक्षाएं लागू नहीं जब तक कि ऐसे स्कीम या विनियम या मार्गनिर्देश में अन्यथा उपबंधित न हो।"

(7) नियम 19 के उपनियम (11) में "प्ररूप सं. एसएच-14" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप एसएच-13" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(8) अनुलग्नक में प्ररूप सं. "एसएच-13" और "एसएच-14" के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित प्ररूप रखे जाएंगे, अर्थात्:-

प्ररूप सं. एसएच-13

नामनिर्देशन प्ररूप

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 के नियम 19(1) के अनुसरण में]

सेवा में,

कंपनी का नाम:

कंपनी का पता:

मैं/हम नीचे दिए गए विशिष्टियों वाले प्रतिभूतियों के धारक, नामनिर्देशन करने के इच्छुक हैं और निम्नलिखित व्यक्तियों को नामनिर्देशन करते हैं, जिनमें मेरे/हमारे मृत्यु की स्थिति में ऐसी प्रतिभूतियों के संबंध में सभी अधिकार निहित होंगे।

(1) प्रतिभूतियों का विवरण (जिनके संबंध में नामनिर्देशन किया जा रहा है)

प्रतिभूतियों का स्वरूप	फोलियो संख्या	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रमाण पत्र संख्या	विशिष्ट संख्या
------------------------	---------------	------------------------	--------------------	----------------

(2) नामनिर्देशिती/नामनिर्देशितियों की विशिष्टियां -

(क) नाम:

(ख) जन्मतिथि:

(ग) पिता/माता/पति/पत्नी:

(घ) व्यवसाय:

- (ड) राष्ट्रीयता:
 (च) पता:
 (छ) ई-मेल पता:
 (ज) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:

(3) यदि नामनिर्देशिती अव्यस्क है -

- (क) जन्मतिथि:
 (ख) व्यस्कता प्राप्त करने की तारीख:
 (ग) संरक्षक का नाम:
 (घ) संरक्षक का पता:

(4) अल्पव्यस्क नामनिर्देशिती के व्यस्कता आयु प्राप्त करने से पूर्व मृत्यु के मामले में नामनिर्देशिती की विशिष्टियां

- (क) नाम:
 (ख) जन्मतिथि:
 (ग) पिता/माता/पति/पत्नी:
 (घ) व्यवसाय:
 (ड) राष्ट्रीयता:
 (च) पता:
 (छ) ई-मेल पता:
 (ज) प्रतिभूति धारक के साथ संबंध:
 (झ) अल्पव्यस्क नामनिर्देशिती के साथ संबंध:

नाम:

पता:

प्रतिभूति धारक का नाम हस्ताक्षर साक्षी का नाम और पता

प्ररूप सं. एसएच-14

नामनिर्देशन रद्द या परिवर्तित करना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 की उपधारा (3) और कंपनी (शेयर पूंजी और डिबेंचर्स) नियम, 2014 के नियम 19(9) के अनुसरण में]

कंपनी का नाम:-

मैं/हम एतद्वारा नीचे उल्लिखित प्रतिभूतियों के संबंध में मेरे/हमारे द्वारा (नामनिर्देशिती का नाम और पता) के पक्ष में किए गए उल्लिखित नीचे प्रतिभूतियों की वाबत नामनिर्देशन (नामनिर्देशनों) को रद्द करता हूँ/करते हैं।

अथवा